

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि.

7, सरदार पटेल मार्ग, पटना-15


का.आ.सं.....35.....

पटना, दिनांक22/02/2014

॥ कार्यालय आदेश ॥

निदेशक पर्वद की 183वीं बैठक में मद सं.-183/3 में लिये गये निर्णय के आलोक में ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 में कंडिका-12 के रूप में निम्नलिखित बिन्दु जोड़ा जाता है :-


“गलत/फर्जी कागजात समर्पित कर निविदा प्राप्त करने का प्रयास करने वाले संवेदकों द्वारा जमा अग्रधन की राशि को जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जायेगी।”


21.2.2014
(डी. एन. प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक.....678.....

पटना, दिनांक22/02/2014

प्रतिलिपि:- सभी उप मुख्य अभियंता/सचिव (योजना एवं प्रशासन)/वित्तीय सलाहकार-सह-मुख्य लेखा पदाधिकारी/सभी वरीय परियोजना अभियंता/सभी वरीय निरूपण अभियंता/वरीय योजना अभियंता/वरीय गुण नियंत्रण अभियंता/सचिव (प्र.-अप्रा.)/सचिव (कम्पनी-कार्य)/लेखा पदाधिकारी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


21.2.2014
(डी. एन. प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक